राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प012(02)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 2/4/19

समस्त गवर्नमेन्ट कौंसिल/एडिशनल गवर्नमेन्ट कौंसिल/डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल,
जोधपुर/जयपुर

परिपत्र

विषयः– राजकीय अधिवक्तागण (Counsel of Government) के संबंध में दिशा– निर्देश

———

राज्य के अधिवक्ता की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर में उपस्थिति एवं पैरवी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार निम्न दिशा–निर्देश जारी करती हैंः–

1 राज्य सरकार एवं महाधिवक्ता महोदय के नियन्त्रणाधीन रहते हुए प्रत्येक अधिवक्ता आंवटित विभागों की स्वतन्त्ररूप से पैरवी करते हुए उन विभागों के प्रति दायित्वाधीन होगें।

2 विधि विभाग अपने स्वविवेक से अथवा संबंधित विभाग की प्रार्थना पर इस विभाग द्वारा उनको आवंटित विभाग के अतिरिक्त किसी भी अन्य अधिवक्ता को प्रकरण विशेष आवंटित कर सकेगा।

3 राज्य के अधिवक्ता उन्हें आंवटित प्रकरण की पत्रावली संबंधित विभाग से प्राप्त करेगें। राज्य के अधिवक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे माननीय न्यायालय से इस आधार पर स्थगन की मांग नहीं करेगें कि उन्हें विभाग से पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है।

4 राज्य के अधिवक्ता से यह अपेक्षा है कि वे माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित रहेगें।

5 राज्य के अधिवक्ता विभाग के नोडल अधिकारी/ प्रकरण के प्रभारी अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित रखते हुए अभिवचन, अपील, रिट तैयार कर उसका प्रस्तुतिकरण समयावधि में सुनिश्चित करेगें।

6 विभाग के नोडल अधिकारी / प्रकरण के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि राज्य की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले अभिवचन के लिए आवश्यक अभिलेख, सुसंगत तथ्य एवं नियम/परिपत्र, अपने विभाग के अधिवक्ता को यथाशीध्र उपलब्ध करवाऐं तथा अभिवचन का अनुमोदन विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक शासन सचिव के स्तर से करवाऐं।

7 राज्य के अधिवक्ता अपने कार्य की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

8 माननीय न्यायालय द्वारा यदि किसी प्रकरण में कोई निर्देश, अभिवचन/ शपथ पत्र अथवा अन्य कोई सूचना एवं दस्तावेज पेश करने हेतु दिये जाते हैं तो संबंधित अधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वे इस संबंध में संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी / प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को अविलम्ब सूचित करेंगे तथा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।

9 राज्य के अधिवक्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक पेशी की कार्यवाही का अंकन अपनी पत्रावली की आदेशिका एवं **Lites Software** में करेंगे।

10 राज्य के अधिवक्ता उन्हें आवंटित विभाग के प्रकरणों में निर्णय/आदेश पारित होने के तुरन्त पश्चात प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन करेंगे तथा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर पत्रावली अपनी राय सहित अविलम्ब विभाग को प्रेषित करेगें।

11 यदि कोई विभाग एक से अधिक अधिवक्ता को आवंटित है तो विभाग द्वारा संबंधित अधिवक्ताओं को **वर्तमान में लम्बित एवं नवीन दायर होने वाले प्रकरणों का** आवंटन

सम–विषम **(even-odd)** के क्रम किया जाएगा। बंच केस **(bunch case)** होने की स्थिति में यदि प्रकरण सम पर आता हैं तो सभी केसेज सम क्रम पर आने वाले अधिवक्ता को यथा विषम क्रम पर बंच केसेज आने की स्थिति में विषम क्रम के अधिवक्ता को आवंटित किए जाएगें। विभाग यह भी सुनिश्चित करेगें की केसों का आवंटन यथा संभव आनुपातिक रुप से किया जाए। किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में विभाग विधि विभाग से परामर्श करेगें।

12 राज्य के अधिवक्तागण माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण का नोटिस दिए जानें पर ऐसा नोटिस लेने से इस आधार पर इन्कार नहीं करेगें कि "नोटिस उनके आवंटित विभाग से संबंधित नहीं हैं," अपितु वे प्रकरण का नोटिस प्राप्त कर संबंधित विभाग के राजकीय अधिवक्ता को अविलम्ब प्रदान करेगें।

13 राज्य के अधिवक्ता यह सुनिश्चित करेगें कि माननीय न्यायालय के समक्ष उनकी उपस्थिति में किसी भी प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय ना हो। यदि सुनवाई किया जा रहा प्रकरण उनको आवंटित विभाग से संबंधित नहीं है तो, वह संबंधित अधिवक्ता को सूचित करेगें तथा न्यायालय से इस हेतु समय दिए जाने की प्रार्थना करेगें।

14 राज्य के अधिवक्ता इस विभाग के परिपत्र कमांक प012(2) राज/वाद/19 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार ही विविध खर्चों का भुगतान प्राप्त करेगें।

समस्त **राजकीय अधिवक्तागण (Counsel of Government)** उक्त दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना करेगें। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई गई तो राज्य सरकार द्वारा इसे गंभीरता से लिया जावेगा।

ह०

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
4. राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त गवर्नमेंट कौंसिल/एडि0 गवर्नमेंट कौंसिल/डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल/अस्टिेन्ट गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर/जोधपुर।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

2/4/19

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव,विधि